

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 235/2021

दायर दिनांक 01.09.2021

वादीगण	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. अमराराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी किचक, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।		1. सांवताराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट उम्र 67 वर्ष निवासी किचक तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री रणजीत बलारा वकील वादी।
2. श्री कमलेश कुमार वकील प्रतिवादी सं0 01।

--: निर्णय :-

दिनांक 08.10.2021


वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि खेत खसरा सं0 47 जिसके नये खसरा सं0 81 रकबा 4.84 हैक्टे0, पुराने खसरा सं0 67 जिसके नये खसरा सं. 111 रकबा 2.43 हैक्टे0, पुराने खसरा सं0 51 के नये खसरा सं0 90 रकबा 1.62 हैक्टे0, खसरा संख्या 78 रकबा 0.01 हैक्टे0, खसरा सं0 79 रकबा 0.03 हैक्टे0, खसरा सं0 80 रकबा 0.02 हैक्टे0 वाके किचक स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

यह है कि उक्त खेतो का मौखिक बंटवारा आज से करीब 20 वर्ष पूर्व ही कर लिया था, जिसके अनुसार खसरा सं0 81 रकबा 4.84 हैक्टे0 में से उत्तरी 3.06 हैक्टे0, खेत खसरा सं0 111 रकबा 2.43 हैक्टे0 में से दक्षिणी 1/2 अर्थात् 1.21 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 90 रकबा 1.62 हैक्टे0 में से पश्चिमी 1/2 अर्थात् 0.81 हैक्टे0 कुल रकबा 5.08 हैक्टे0 वादी अमराराम के बंट व कब्जा काश्त में आया, तथा खेत खसरा सं0 81 रकबा 4.84 में से दक्षिणी 1.78 हैक्टे0, खसरा सं0 111 रकबा 2.43 हैक्टे0 में से उत्तरी 1/2 अर्थात् 1.22 हैक्टे0 तथा खसरा सं0 90 रकबा 1.62 हैक्टे0 में से पूर्वी 1/2 अर्थात् 0.81 हैक्टे0, खसरा सं0 80 रकबा 0.02 हैक्टे0 कुल रकबा 03.83 हैक्टे0 प्रतिवादी सं0 01 सांवताराम के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा खसरा सं0 78 व खसरा सं0 79 सिरोला यथावत रहेगा तथा सांवताराम के बंट में कम इसलिये आयी कि उनके अन्य खेत खसरा सं0 47 रकबा 35.05 बीघा में से 04 बीघा बंट में आयी हुयी है तथा तब से लेकर आज तक पक्षकारान अपने बंट व कब्जा काश्त के खेतो पर अबाध रूप से काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। वादी ने इस बंटवारा को अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है जो वाद का भाग है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है-

यह है कि खेत खसरा सं0 81 रकबा 4.84 हैक्टे0, खसरा सं0 90 रकबा 1.62 हैक्टे0, खसरा सं0 111 रकबा 2.43 हैक्टे0, खसरा सं0 80 रकबा 0.02 हैक्टे0 कुल रकबा 8.91 हैक्टे0 वाकै सरहद किचक का कानूनी रूप से बंटवारा वाद में उपरोक्त वर्णितानुसार व नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार किया जावें।




 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी सं० 02 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 02 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादी 01 ने राजीनारामा पेश किया। जिसे बाद तस्दीक शामिल मिशाल किया गया। वादी व प्रतिवादी सं० 01 ने वाद के समर्थन में, राजीनामा व नजरीनक्शा पेश किया।

नजरीनक्शा के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् दावा मुताबिक खातेदारी चाहते हैं। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। नजरीनक्शा के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान् दावा मुताबिक दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, दावा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।


—:आदेश :-

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद किचक में निम्नलिखित खसरा नु की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

1. वादी अमराराम के बंट व कब्जा काशत की भूमि — खसरा सं० 81 रकबा 4.84 हैक्टे० में से उत्तरी 3.06 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 111 रकबा 2.43 हैक्टे० में से दक्षिणी 1/2 अर्थात् 1.21 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 90 रकबा 1.62 हैक्टे० में से पश्चिमी 1/2 अर्थात् 0.81 हैक्टे० कुल रकबा 5.08 हैक्टे० भूमि।
2. प्रतिवादी सं० 01 सांवताराम के बंट व कब्जा काशत में आई भूमि — खेत खसरा सं० 81 रकबा 4.84 हैक्टे० में से दक्षिणी 1.78 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 111 रकबा 2.43 हैक्टे० में से उत्तरी 1/2 अर्थात् 1.22 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 90 रकबा 1.62 हैक्टे० में से पूर्वी 1/2 अर्थात् 0.81 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 80 रकबा 0.02 हैक्टे० कुल रकबा 3.83 हैक्टे० भूमि।


यह है कि खसरा सं० 78 व खसरा सं० 79 वादी व प्रतिवादी के मध्य सिरोल यथावत रहेगा तथा प्रतिवादी सांवताराम के बंट में कम इसलिए आयी कि उनके अन्य खेत खसरा सं० 47 रकबा 35.05 बीघा में से 04 बीघा बंट में आयी हुयी है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा व नजरीनक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(सहायक कलेक्टर)
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(सहायक कलेक्टर)
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिक्री वमुकद्दमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 235/2021

दायर दिनांक 01.09.2021

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. अमराराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी किचक, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम् 1. सांवताराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट उम्र 67 वर्ष निवासी किचक तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत
घोषणा, रेकॉर्ड दुरुस्ती एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनांक 08.10.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा वकील वादी व श्री कमलेश कुमार वकील प्रतिवादी सं0 01 की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद किचक में निम्नलिखित खसरान् की भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा में दर्शित मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

1. वादी अमराराम के बंट व कब्जा काश्त की भूमि - खसरा सं0 81 रकबा 4.84 हैक्टे0 में से उत्तरी 3.06 हैक्टे0, खेत खसरा सं0 111 रकबा 2.43 हैक्टे0 में से दक्षिणी 1/2 अर्थात 1.21 हैक्टे0, खेत खसरा सं0 90 रकबा 1.62 हैक्टे0 में से पश्चिमी 1/2 अर्थात 0.81 हैक्टे0 कुल रकबा 5.08 हैक्टे0 भूमि।
2. प्रतिवादी सं0 01 सांवताराम के बंट व कब्जा काश्त में आई भूमि - खेत खसरा सं0 81 रकबा 4.84 हैक्टे0 में से दक्षिणी 1.78 हैक्टे0, खेत खसरा सं0 111 रकबा 2.43 हैक्टे0 में से उत्तरी 1/2 अर्थात 1.22 हैक्टे0, खेत खसरा सं0 90 रकबा 1.62 हैक्टे0 में से पूर्वी 1/2 अर्थात 0.81 हैक्टे0, खेत खसरा सं0 80 रकबा 0.02 हैक्टे0 कुल रकबा 3.83 हैक्टे0 भूमि।

यह है कि खसरा सं0 78 व खसरा सं0 79 वादी व प्रतिवादी के मध्य सिरोल यथावत रहेगा तथा प्रतिवादी सांवताराम के बंट में कम इसलिए आयी कि उनके अन्य खेत खसरा सं0 47 रकबा 35.05 बीघा में से 04 बीघा बंट में आयी हुयी है।


उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा व नजरीनक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.10.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

	रूप या	पै से	मुदायलह	रूप या	पै से
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	- -		स्टाम्प वकालतना मा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलक्टर
 सहाय डीडवाना बट
 डीडवाना (तागौर)